

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 173 /2024 दिनांक :26.07.2024

श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम को दिनांक 29.07.2024 से 08.08.2024 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.07.2024 से 28.07.2024 एवं 09.08.2024 से 11.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती परनामी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/06/2010/ 6002

दिनांक : 26.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—प्रथम को उनके पत्रांक 3246 दिनांक 08.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम।
4. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर—प्रथम।

  
26/7/2024  
सहायक रजिस्ट्रार